न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 3/2025 (जीसीएमएस सं.–2025/15) दायर दिनांक 30.01.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

——आवेदक

बनाम

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रोशनलाल (मालिक व विक्रेता), वार्ड नं. 41 पुराना बाजार सूरतगढ, श्रीगंगानगर मैसर्स–जय श्री ट्रेडर्स, पुरानी धान मण्डी, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर

——अभियुक्त–1

उपस्थित:–

1. श्री कमल दत्त शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी।

परिवाद अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii)/51

:: निर्णय :: दिनांक:–4/07/2025

1. यह परिवाद आवेदक श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत पेश किया है।
2. परिवाद के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर में दिनांक 16.10.2024 को पद पर कार्य करने के लिये अधिकृत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5(01) चिस्वा./ग्रुप–3–2023 दिनांक 01.10.2024 के गजट में प्रकाशित हुआ एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता–खासुऔनि/संस्था/ 2024/2098 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार किया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दि. 16.10.2024 को समय 04.30 पीएम बजे निरीक्षण हेतु मैसर्स जय श्री ट्रेडर्स, पुरानी धान मण्डी, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर पहुंचे। मौके पर उपस्थित विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रोशनलाल (मालिक व विक्रेता) को अपना परिचय देकर संस्थान के काउण्टर (रैक) में 20 जार पैक **Cow ghee (Vatula brand)** 500 **ml** के बारे में जानकारी चाही। इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान के काउण्टर (रैक) में 20 जार पैक **Cow ghee (Vatula brand)** 500 **ml** को आमजन को बेचान वास्ते बताया जिसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से **Cow ghee (Vatula brand)** का नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म नं. 5 ए भरकर देते हुए व्यक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फार्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु रखे काउण्टर (रैक) में 20 जार पैक **Cow ghee (Vatula brand)** 500 **ml** जार पैक में से 4 मूल जार पैक 500**ml**×4=2000**ml** खाद्य पदार्थ **Cow ghee (Vatula brand)** विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **Cow ghee (Vatula brand)** का नगद भुगतान 700 रूपये किया तथा कैशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है तथा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अशोक कुमार पुत्र रोशनलाल (मालिक व विक्रेता) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री अशोक कुमार पुत्र रोशनलाल (मालिक व विक्रेता) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 मूल जार पैक 500**ml**×4=2000**ml** खाद्य पदार्थ **Cow ghee (Vatula brand)** पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–2512 दर्ज किया। और इन पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर, सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. के–2512 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लिप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने भी हस्ताक्षर कर सील बंद चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रोशनलाल (मालिक व विक्रेता) एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कियें। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय [illegible] कर फार्म न. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की एवं प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील [illegible] एक नमूना भाग मय फार्म न. 6 की प्रति के आऊटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य [illegible] में [illegible] विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। फार्म न. 6 की दो प्रति अलग से [illegible] सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील[illegible] नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की [illegible] एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आऊटर कवर में [illegible] डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा [illegible] अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। फूड [illegible] नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त [illegible] पश्चात डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगा[illegible] ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक/एफएसएसए/ 2024/1289–91 दिनांक 19.11.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Cow ghee (Vatula brand)** का नमूना **SUB STANDARD FOOD** होना

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़

पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। फूड एनालिस्ट बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांकः एफएसएसए/2024/1289–91 दिनांक 19.11.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु आज दिनांक तक कोई आवेदन नहीं किया गया और ना ही **Cow ghee (Vatula brand)** का खरीद बिल प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 17.01.2025 को पत्र मय मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/89–90 दिनांक 22.01.25 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रोशनलाल (मालिक व विक्रेता) वार्ड नं. 41 पुराना बाजार सूरतगढ़ मैसर्स जय श्री ट्रेडर्स, पुरानी धान मण्डी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने खाद्य पदार्थ **Cow ghee (Vatula brand) SUB STANDARD FOOD** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(ii) का उंल्लघन किया है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. की धारा 51 में वर्णित है।

3. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कमल दत्त हाजिर आये एवं जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि परिवाद की मद संख्या 1 खाद्य सुरक्षा व गजट नोटिफिकेशन एवं अभिसूचना आदेश आदि कानूनी है। मद संख्या 2 अस्वीकार है। दुकान की काउंटर में 4 जार पैक **Cow ghee** जिसका सैम्पल लिया गया है, वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी मनमर्जी से लिया गया है, जिसमें अप्रार्थी दुकान का मालिक व विक्रेता है, परन्तु उक्त ब्राण्ड का मालिक अप्रार्थी नहीं है, क्योंकि **(Vatula brand)** का मालिक **Vatula** कम्पनी है। मद संख्या 3 अस्वीकार है, क्योंकि कैश मीमो व भुगतान आदि की प्रक्रिया परविादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी देखरेख व अपने निर्देशानुसार करवाई गई है। मद संख्या 4 अस्वीकार है, गैरसायल दुकान का मालिक व विक्रेता अवश्य है, परन्तु **(Vatula brand)** का मालिक नहीं है। मद संख्या 5 अस्वीकार है, उक्त डिब्बे के नमूनों को खाद्य सरुक्षा अधिकारी ने अपनी देखरेख में तैयारकर बाद में मेरे हस्ताक्षर करवाये है। अप्रार्थी उक्त घी का ब्राण्ड खुला नहीं बेचता, पूर्णतया पैक स्थिति में ही विक्रय करता है। मद संख्या 6 अस्वीकार है, खाद्य सरुक्षा अधिकारी ने गैरसायल को कोई परिवाद, मौके की फर्द व रिपोर्ट ना दिखाई व ना पढकर सुनाई, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कहने पर अप्रार्थी ने हस्ताक्षर किया है। मद संख्या 7 अस्वीकार है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संबंधित है। मद संख्या 8 अस्वीकार है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं नमूना जांच एजेंसियों से संबंधित रिपोर्ट अप्रार्थी के पक्ष में है, रिपोर्ट का अवलोकन किया जा सकता है। मद संख्या 9 अस्वीकार है, अप्रार्थी से किसी प्रकार का कोई खरीद, बिल या अन्य सबूत की मांग किसी भी अधिकारी द्वारा या एजेंसी द्वारा नहीं की गई। मद संख्या 10 अस्वीकार है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी से संबंधित है। मद संख्या 11 अस्वीकार है तथा अभिहित अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर तथा आवेदक से संबंधित है। मद संख्या 12 अस्वीकार है, गैरसायल न किसी प्रकार की डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ का न तो निर्माण किया है और न ही मिलावट की है व छोटा दुकानदार है और थोड़ा माल मंगवाता है और डिब्बाबंद अवस्था में ही उसका विक्रय कर देता है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) व धारा 51, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 निरस्त फरमाकर गैरसायल को दोषमुक्त किया जावे।

4. अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सीपीसी धारा 1 नियम 10 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया एवं ना ही किसी भी प्रकार के साक्ष्य दस्तावेज अथवा गवाह पेश किये।

फूड एनालिस्ट बीकानेर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर राजस्थान की रिपोर्ट क्रमांक **L.S.1311/Act/2024/1311** दिनांक 24.10.2024 अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन को विक्रय हेतु रखे गये खाद्य पदार्थ **Cow ghee (Vatula brand)** का नमूना संख्या के–2512 **SUB STANDARD FOOD** होना पाया गया। उपभोक्ता द्वारा क्रयशुदा खाद्य पदार्थ की विक्रेता को निर्धारित कीमत का भुगतान कर यह अपेक्षा की जाती है कि विक्रेता भी उपभोक्ता की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानक स्तर का खाद्य पदार्थ का विक्रय करेगा। परन्तु अप्रार्थी द्वारा **SUBSTANDARD FOOD** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(2) का उल्लंघन ही नही किया है अपितु उपभोक्ता एवं विक्रेता के मध्य स्थापित विश्वसनीयता व लोक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी किया है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रोशनलाल द्वारा आमजन को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **Cow ghee (Vatula brand) SUB STANDARD FOOD** होना पाया गया। अतः प्रकरण में लोक स्वास्थ्य व उपभोगता सुरक्षा के दृष्टिकोण को न्यायहित–लोकहित में मद्धेनजर रखते हुए तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रोशनलाल (मालिक व विक्रेता), वार्ड नं. 41 पुराना बाजार सूरतगढ, श्रीगंगानगर मैसर्स–जय श्री ट्रेडर्स, पुरानी धान मण्डी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को राशि 2,00,000 रूपये (2 लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 04/07/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.07.25 16:41:21 IST
Reason: SelfAttested

(दीनानाथ बब्बल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ

Scanned with OKEN Scanner